जिलाधिकारी महोदया,

नैनीताल

की अध्यक्षता में

जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक का एजेण्डा

दिनांक : 27 मई, 2023 समय : अपराह्न 3:00 बजे

स्थान : जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय हल्द्वानी।

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 27 मई 2023 को प्रस्तावित जिला उद्योग मित्र बैठक का एजेण्डा।

विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि–महोदया अवगत होना चाहें कि जिला उद्योग मित्र की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला उद्योग मित्र समिति की अध्यक्षता में दिनांक 2.02.2023 को सम्पन्न कराई गई। बैठक में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही अनुलग्नक 1 पर संलग्न है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1–उद्योग विभाग(औद्योगिक विकास विभाग/एमएसमएमई)

जनपद नैनीताल में प्रस्तावित उत्तराखण्ड एम0एस0एम0ई नीति–2023 के ड्राफ्ट पर चैम्बर एवं उद्यमियों,हितधारकों से प्राप्त सुझाव।

राज्य में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु उत्तराखण्ड सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023 का प्रख्यापन प्रस्तावित है। प्रस्तावित नीति के प्रख्यापन से पूर्व नीति के ड्राफ्ट पर महानिदेशक/ आयुक्त उद्योग,उद्योग निदेशालय,देहरादून के निर्देशानुसार सभी हितधारकों से सुझाव प्राप्त किया जाना है। इसे जिला उद्योग मित्र की बैठक में परिचालित कर उद्यमियों एवं हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर प्रेषित किये जाने है।

दिनांक 3.05.2023 को हिमालयन चैम्बर आफ कामर्श एण्ड इण्डस्ट्रीज हल्द्वानी के पदाधिकारियों /जनपद के उद्यमियों के साथ सुझावों के सम्बन्ध में बैठक की गई। चैम्बर एवं उद्यमियों के द्वारा प्रस्तुत सुझाव समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।

क्र0 सं0	प्राविधान	एम0एस0एम0ई नीति 2015 यथासंशोधित 2020 में उल्लेखित प्राविधान	प्रस्तावित एम0एस0एम0ई नीति–2023 के ड्राफ्ट में प्राविधान	हितधारकों के सुझाव एवं मांग
1	क्षेत्रों का वर्गीकरण	चिन्हित क्षेत्रों का वर्गीकरण:– विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 05 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए:– जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र। श्रेणी बी:– 1. जनपद अल्मोड़ा का सम्पूर्ण भू–भाग व जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल्य विकासखण्ड (बी श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर) 2. जनपद नैनीताल तथा जनपद देहरादून के पर्वतीय बाहुल्य विकासखण्ड (बी +श्रेणी में वर्गीकृत क्षेत्रों को छोड़कर)।	क्षेत्रों का वर्गीकरण:– विभिन्न सहायताओं एवं अनुदानों को मात्राकृत करने के लिये प्रदेश को निम्नानुसार 04 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए: जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग व बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र। श्रेणी बी:– 1. जनपद अल्मोड़ा एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल का सम्पूर्ण भूभाग तथा टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय बहुल भूभाग। 2.जनपद नैनीताल (भीमताल ,धारी,बेतालघाट,रामगढ़, ओखलकाण्डा विकासखण्ड) तथा जनपद देहरादून (चकराता विकासखण्ड)	*नई एम0एस0एम0ई0 नीति–2023 के ड्राफ्ट का पूर्ण परीक्षण कर एवं चैम्बर के समस्त उपस्थिति पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के द्वारा विस्तृत चर्चा के उपरान्त असंतोष प्रकट करते हुए यह निर्णय लिया गया कि यह प्रख्यापित नीति एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के उद्यमियों के हित में नहीं है तथा पूर्व की एम0 एस0 एम0ई0 नीति–2015 उत्तराखण्ड*

		श्रेणी बी+ :– जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखण्ड के कोटद्वार, सिगड्डी और इनसे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र तथा टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखण्ड के ढालवाल, मुनी के रेती, तपोवन, तथा उससे जुड़े हुए मैदानी क्षेत्र जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड का सम्पूर्ण क्षेत्र।, जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड के मैदानी क्षेत्र श्रेणी सी:– जनपद देहरादून के रायपुर, सहस्पुर, विकासनगर व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्र तल से 650मि0 से अधिक ऊचाई वाले क्षेत्र एवं जनपद नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी विकासखण्ड का क्षेत्र। श्रेणी डी:– जनपद हरिद्वार व ऊधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद देहरादून व नैनीताल के अवशेष क्षेत्र (श्रेणी बी,बी+ व सी में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर)।	– श्रेणी सी:– जनपद टिहरी का मैदानी भाग(ढालनवाला,तपोवन,मुनी की रेती एवं उससे जुड़े फकोट विकासखण्ड का मैदानी क्षेत्र) जनपद देहरादून के रायपुर,सहसपुर,विकासनगर,कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक उचाई वाले क्षेत्र जनपद नैनीताल के कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर से अधिक उचाई वाले क्षेत्र। श्रेणी डी– जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भूभाग। जनपद नैनीताल के रामनगर,हल्द्वानी विकासखण्ड,नगर निगम हल्द्वानी नगरपालिका लालकुआं ,नगरपालिका रामनगर तथा कोटाबाग विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटरया इससे कम उचांई वाले क्षेत्र। जनपद देहरादून के रायपुर,सहसपुर,विकासनगर,कालसी व डोईवाला विकासखण्ड के समुद्रतल से 800 मीटर या इससे कम उंचाई वाले क्षेत्र तथा देहरादून नगर निगम के क्षेत्र	राज्य में उद्यम स्थापना, निवेश एवं रोजगार सृजन की दृष्टि से उपयुक्त थी। अतः चैम्बर की मांग है कि उत्तराखण्ड राज्य में उद्यम की स्थापना स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एवं पलायन को रोकने के लिए सरकार को पूर्व एम0 एस0ए म0ई0 नीति-2015 में वित्तीय प्रोत्साहनों को और अधिक आकर्षक बना कर नई नीति को प्रख्यापित किया जाये। 1– जनपद नैनीताल के विकासखण्ड भीमताल, रामगढ़, ओखलकाण्डा, धारी एवं बेतालघाट को श्रेणी 'ए' के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाये। क्योंकि इन क्षेत्रों में अभी तक कोई औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। अतः इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 2–जनपद नैनीताल के विकासखण्ड कोटाबाग, रामनगर एवं हल्द्वानी को श्रेणी 'बी' के अन्तर्गत

				सम्मिलित किया जाये।

2 वित्तीय प्रोत्साहन

(Fiscal Incentives& Concession)

1. श्रेणी

क०स०	श्रेणी	योजना	प्रोत्साहन सहायता मात्रा/सीमा
1.	श्रेणी–ए	निवेश प्रोत्साहन सहायता (उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन पर ही)	40 प्रतिशत (अधिकतम रु0 40 लाख)
2.		ब्याज उत्पादन	10 प्रतिशत (अधिकतम रु0 8 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3.		स्टाम्प ड्यूटी (भूमि क्रय पर)	शून्य प्रतिशत
4.		विद्युत बिल 100 के0वी0ए0तक 100 के0वी0ए0 से ऊपर	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत–प्रतिशत तत्पश्चात् 75 प्रतिशत 60 प्रतिशत
5.		विशेष राज्य परिवहन उपादान	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अधिकतम रु0 7.00 लाख/प्रतिवर्ष अथवा कच्चा माल,तैयार माल परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय,इनमें से जो भी कम हो।
2.श्रेणी–बी एवं बी+			
1.	श्रेणी–बी एवं श्रेणी बी+	निवेश प्रोत्साहन सहायता	35 प्रतिशत (अधिकतम रु0 35लाख)
2.		ब्याज उपादान	8प्रतिशत (अधिकतम रु0 6लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3.		स्टाम्प ड्यूटी	शत प्रतिशत
4.		विद्युत बिल100 के0वी0ए0तक 100 के0वी0ए0 से ऊपर	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत–प्रतिशत तत्पश्चात् 60 प्रतिशत 50प्रतिशत
5.		विशेष राज्य परिवहन उपादान	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रु0

इकाई के प्रकार	सूक्ष्म	लघु		मध्यम
क्षेत्र	संयत्र व मशीनरी /उपकरण में रु0 01करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपकरण में रु0 01करोड़ से अधिक रुपये 5 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपकरण में रु0 05करोड़ से अधिक रुपये 10करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम	संयंत्र व मशीनरी/ उपकरण में रु0 10करोड़ से अधिक रुपये 50 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाले उद्यम
श्रेणी ए	स्थायी पूंजी निवेश का 50 प्रतिशत (50 लाख)	रुपया 50 लाख+रुपया 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 25 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 1.50 करोड़)	रुपया 1.50 करोड़+ रुपया05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 20 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 2.50 करोड़)	रुपया 2.50 करोड़+रुपया 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 3.75 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 04 करोड़)
श्रेणी बी	स्थायी पूंजी निवेश का 40प्रतिशत (40 लाख)	रुपया 40 लाख+रुपया 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 20 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 1.20 करोड़)	रुपया 1.20 करोड़+रुपया05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 16प्रतिशत (अधिकतम रुपया 2.00 करोड़)	रुपया 2.00 करोड़+रुपया 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 2.50 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 03करोड़)
श्रेणी–सी	स्थायी पूंजी निवेश का 30प्रतिशत (30 लाख)	रुपया 30 लाख+रुपया 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 12.50प्रतिशत (अधिकतम रुपया 80 लाख)	रुपया 80 लाख+रुपया 05 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 08प्रतिशत (अधिकतम रुपया 1.20 करोड़)	रुपया 1.20 करोड़+रुपया 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 2.00 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 02करोड़)
श्रेणी–डी	स्थायी पूंजी निवेश का 20प्रतिशत (20 लाख)	रुपया 20 लाख+रुपया 01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का @ 10 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 1.60 लाख)	रुपया 60 लाख+रुपया0 5 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 6प्रतिशत (अधिकतम रुपया 90लाख)	रुपया 90 लाख+ रुपया 10 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश का@ 1.50 प्रतिशत (अधिकतम रुपया 1.50 करोड़)

3–प्रस्तावित नीति में कुल अनुमन्य पूंजीगत उपादान सहायता का संवितरण 07 समान किस्तो में करना उद्यम स्थापना के हित में नहीं है। अतः सुझाव है कि उपादान का संवितरण पूर्व की भांति 01 ही बार में किया जाये।

4–अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता हेतु राज्य में स्थापित होने वाले प्राथमिकता श्रेणी के उद्यमों की स्थापना में स्थाई निवासियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्राथमिकता श्रेणी के तहत अनुदान अनुमन्य किया जाये, जो कि पलायन रोकने के लिए सर्वोत्तम सक्षम साधन सिद्ध हो सकता है।

5–पूंजीगत उपादान हेतु बिन्दु संख्या 8.2.3 में लघु उद्यमों की पात्रता श्रेणी को भारत सरकार द्वारा निर्धारित संयत्र एवं मशीनरी/उपकरण में निवेश धनराशि 01 करोड़ से 10 करोड़ तक के पूंजी

					रु0 5.00 लाख/प्रतिवर्ष		
			3. श्रेणी–सी				
			1.	श्रेणी–सी	निवेश प्रोत्साहन सहायता	30 प्रतिशत (अधिकतम रु0 30 लाख)	
			2.		ब्याज उपादान	6 प्रतिशत (अधिकतम रु0 4 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)	
			3.		स्टाम्प ड्यूटी	शत प्रतिशत	
			4.		विद्युत बिल	शून्य (छूट अनुमन्य नहीं)	
			5.		विशेष राज्य परिवहन उपादान	शून्य (छूट अनुमन्य नहीं)	
			4. श्रेणी–डी				
			1.	श्रेणी–डी	निवेश प्रोत्साहन सहायता	15 प्रतिशत (अधिकतम रु0 15 लाख)	
			2.		ब्याज उपादान	शून्य (छूट अनुमन्य नहीं)	
			3.		स्टाम्प ड्यूटी	शून्य (छूट अनुमन्य नहीं)	
			4.		विद्युत बिल	शून्य (छूट अनुमन्य नहीं)	
			5.		विशेष राज्य परिवहन उपादान	शून्य (छूट अनुमन्य नहीं)	
							निवेश उद्यम को प्रख्यापित नीति में भी लागू किया जाये। ड्राफ्ट में अल्लिखित लघु उद्यम के वर्गीकरण को समाप्त किया जाये। इस बिन्दु में आच्छादित उद्योगों को दो वर्गों में बांटने के स्थान पर एक ही वर्ग में रखा जाये।
3	सेवा एवं विनिर्माणक उद्यम	एम0एस0एम0ई नीति 2015 में सेवा/विनिर्माणक उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये चिन्हित सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों के अन्तर्गत होटल,रिसार्ट,स्पा,मनारंजन /मनोविनोद को सम्मिलित किया गया है।				विनिर्माणक क्षेत्र में निवेश हेतु अनुकुल नीतियों एवं परिस्थिक तन्त्र का सर्वोत्तम लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य के विनिर्माणक क्षेत्र की प्राथमिकतायें निश्चित करते हुए सम्बन्धित विभागों के सहयोग से **सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्द्धन के लिये नई नीति प्रस्तावित की जाये।** प्रस्तावित नीति में केवल विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को ही सम्मिलित किया गया है।	*प्रस्तावित एम0 एस0 एम0ई0 नीति–2023 में सेवा क्षेत्र/यथा पर्यटन गतिविधियों के उद्यमों को पूर्व के समान ही नीति में सम्मिलित किया जाये। क्योंकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राज्य स्थापना के उपरान्त बढ़ावा देने, उनकी कठिनाईयों/ समस्याओं एवं हित को केवल उद्योग विभाग द्वारा ही समझा गया है एवं*

				उनके हित में आवश्यक प्रयास किये गये हैं। जिसके प्रमाण में चाहे उद्यम विनिर्माण हो या सेवा क्षेत्र हमेशा से ही उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है। अतः एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को सामूहिक रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रख्यापित नीति में सेवा क्षेत्र/तथा पर्यटन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना नितांत आवश्यक है।
4	स्टाम्प छूट	एम0एस0एमई नीति में श्रेणी ए,बी,बी +श्रेणी सी में शत प्रतिशत स्टाम्प छूट एवं श्रेणी डी में 50 प्रतिशत औद्योगिक प्रायोजन हेतु भूमि कय करने एवं लीज पर लेने स्टाम्प छूट का प्राविधान था।	प्रस्तावित नीति में (8.2.2) में श्रेणी ए एव बी श्रेणी के जनपदों/क्षेत्रों में नये सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिये उद्यमी द्वारा भूमि पटटे पर लेने/कय करने/हस्तान्तरण के रूप में प्राप्त करने पर प्राभार्य स्टाम्प शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति उद्यम स्थापना के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात,इकाई द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रदान की जायेगी।	स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को पूर्व की भाँति यथावत रखा जाये एवं पूर्व की श्रेणीवार ही स्टाम्प छूट प्रदान की जाये।
5	नक्शा अनुमोदन	उद्यम के कार्यशाला भवन का मानचित्र सक्षम प्राधिकारी,यथा सीडा,जिला विकास प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी/प्राधिकरण से स्वीकृत/अनुमोदित हो।	प्रस्तावित नीति के प्रख्यापन के उपरान्त जारी गाईडलाईन के अनुसार।	उत्तराखण्ड राज्य के अधिकांश जनपदों का भू-भाग पर्वतीय है। अतः राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्यम स्थापना के समय नक्शा अनुमोदन की प्राधिकृत समिति के सम्बन्ध में स्पष्टता की नितांत आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप जनपद नैनीताल के कई

				विकासखण्ड में स्थापित हो चुकी औद्योगिक इकाईयां जिला विकास प्राधिकरण की परीधी से बाहर हैं एवं जिला पंचायत को नक्शा अनुमोदन का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इकाई के स्वामियों द्वारा ग्राम प्रधान/ब्लॉक स्तर से नक्शा अनुमोदन करवाते हुए अन्य सभी अनापत्तियां एवं ऋण प्राप्त कर इकाईयों की स्थापना की गयी है। अतः चैम्बर यह मांग करता है कि ऐसी इकाईयों के ग्राम प्रधान/ब्लॉक स्तर से नक्शा अनुमोदन को ही वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु अनुमन्य किया जाये तथा भविष्य के लिए यह सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण लागू नहीं है उन क्षेत्रों में एम0एस0एम0ई0 सेक्टर के नक्शा अनुमोदन हेतु प्रथक से कोई समिति/संस्था का गठन किया जाये अथवा जिला पंचायत को यह अधिकार दिया जाये।
6	अतिरिक्त पूंजी उपादान		अतिरिक्त पूंजी उपादान सहायता–राज्य में स्थापित होने वाले निम्नलिखित श्रेणी के उद्यमों को 05 प्रतिशत(सूक्ष्म इकाई को 05 लाख),लघु इकाई को अधिकतम रु010 लाख तथा मध्यम इकाई को अधिकतम रूपया 15 लाख की अतिरिक्त	प्राथमिक श्रेणी के सभी विनिर्माणिक उद्यमों को वास्तविक रूप से बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण राज्य

	सहायता		पूंजीगत उपादान सहायता प्रदान की जायेगी।— 1—औषधीय,हर्बल एवं सुगन्ध पौध,नेचुरल फाइबर,तथा लघु वनोपाज पर अधारित उद्योग 2— पिरूल से ब्रिकेटस / पेलेटस विनिर्माण। 3— खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 4—सम्बन्धित जनपद में एक जनपद दो उत्पाद योजनान्तर्गत चिन्हित उत्पादों के विनिर्माणक उद्यम। 5— राज्य के जी आई टैग प्राप्त उत्पाद। 6— अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,दिव्यांग महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित विनिर्माणक उद्यम।(उद्यम की अधिकारिता में इस श्रेणी के उद्यमियों की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 प्रतिशत अनिवार्य होगी।)	में अतिरिक्त पूंजीगत उपादान सहायता को 05 प्रतिशत अतिरिक्त उपादान न देकर नीति में श्रेणी 'ए' के तहत अनुमन्य उपादान सहायता प्रदान की जाये। पिरूल एवं उपलब्ध अन्य बायोमास से बायोगैस (CBG) मेथेनाल एवं कृषि अपशिष्ट आदि को प्राथमिकता वाले उद्योगों की श्रेणी में रखते हुए 'ए' श्रेणी के लाभ दिये जायें।राज्य के स्थायी निवासियों को उद्यम लगाने पर अतिरिक्त पूंजी उपादान राज सहायता का लाभ दिया जावे।
7	तकनीक क्षेत्र		तकनीक क्षेत्र में निरंतर हो रहे द्रुत विकास एवं पर्यावरण तथा तकनीकी मानकों के प्रति वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे उच्चीकृत मानकों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी उन्नयन एवं परीक्षण सम्बन्धी आधारभूत अवस्थापना पर किया जाने वाला निवेश सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता की वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। अतः उद्यों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों,प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं एवं मानकों को अपनाने एवं उनके अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	गुणवत्ता तथा मानक हेतु पूर्व की भांति प्रोत्साहन का लाभ यथावत रखा जाये। अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणालियों, गुणवत्ता सुधार सर्टिफिकेशन आदि में अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता प्रदान की जाये।

अनुलग्नक : I

बैठक (दिनॉक 02 फरवरी, 2023) को सम्पन्न बैठक में लम्बित बिन्दुओं पर कार्यवाही :

क्र. सं.	बैठक से सम्बन्धित बिन्दु	अब तक की की गई कार्यवाही की प्रगति	सम्बन्धित विभाग
1	2	3	4
1	➢ कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने सम्बन्धी। ➢ बजूनिया हल्दू–मूसाबंगर होते हुए कोटाबाग बाजार तक के मार्ग निर्माण सम्बन्धी माग सम्बन्धी बिन्दु।	कालाढूंगी से कोटाबाग मोटरमार्ग के चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में मार्ग चौड़ीकरण किये जाने हेतु 32 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 73.28 लाख का प्रथम चरण के कार्य का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 922/13यात्रा0–ह0/2020 दिनॉक 25–02–2021 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त उद्यमियों की मांग पर कालाढूंगी से कोटाबाग मोटर मार्ग(ग्रामीण मार्ग) के बजूनिया–हल्दू–मूसाबंगर होते हुए पतलिया गॉव से कोटाबाग बाजार तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 7 कि.मी.) के चौडीकरण हेतु अनुमानित लागत 21.00 लाख का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा पत्रांक 2784/13 यात्रा0–हल्द्वानी/2020 दिनॉक 29–10–2022 द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रकरणों पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रांक 1676–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 द्वारा उक्त आगणनो प्रस्तावों पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अधि0 अभि0, लोक निर्माण विभाग, रामनगर द्वारा अपने पत्रांक 782 दिनॉक 01 मई, 2023 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक शासन स्तर से दोनो आगणनों पर स्वीकृती अपेक्षित है।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रामनगर।
2	➢ सूर्या गॉव सातताल–मोटर मार्ग निर्माण किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु।	सूर्यागॉव सातताल मोटर मार्ग निर्माण किये जाने सम्बन्धित प्रकरण पर विभाग द्वारा मोटर मार्ग के निर्माण के प्रथम चरण ,का आगणन रू0 61.50 लाख का गठित कर अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0, नैनीताल को प्रेषित किया गया था। उक्त सड़क के प्रस्ताव का आगणन मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के पत्रांक 6526/12यात्रा– हल्द्वानी/2020 दिनॉक 30–12–2021 के द्वारा प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्रांक 700–03/जि.उ.के./उद्योग मित्र दिनांक 27–07–2022 द्वारा आगणन प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष अनुस्मारक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अध्यक्ष/जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक 1675–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया। वर्तमान तक शासन स्तर से स्वीकृती अपेक्षित है।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भवाली।

3	➢ ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर रोड, हल्द्वानी से लगे भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले संपर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक बिन्दु।	ग्राम हरिपुर मोतिया (बेलबाबा मन्दिर से पहले) रामपुर, रोड हल्द्वानी से भारत माईन्स एण्ड मिनरल्स एवं अन्य इकाईयों को जाने वाले सम्पर्क मार्ग के मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में दिनॉक 02 फरवरी, 2023 की बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया कि शासन स्तर से इस आपत्ति के साथ वापस किया गया है कि मार्ग मरम्मत हेतु ट्रेफिक की गणना विडियो बेस्ड सिस्टम से करायी जाने के उपरान्त आगणन स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाए। साथ ही उनके द्वारा 15 दिन के भीतर उक्त प्रकरण पर आपत्ति निराकरण कर शासन को प्रेषित करने हेतु कहा गया। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अतिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। कार्यालय पत्रांक 21 दिनॉक 11 अप्रैल, 2023 द्वारा उक्त प्रकरण की प्रगति से अवगत कराने हेतु भी पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 1350 दिनॉक 16–05–2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण कार्य का आगणन लम्बाई 0.580 किमी, लागत रू0 97.48 लाख का गठित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 नैनीताल को प्रेषित किया गया है। जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
4	➢ ग्राम हरिपुर जमनसिंह स्थित मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड कैमिकल फैक्ट्री एवं अन्य इकाईयों में पेय जल संकट होने विषयक बिन्दु।	उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत बैठकों में उत्तराखण्ड पेय जल निगम, भीमताल द्वारा अपने पत्रांक 1340 दिनांक 27.04.2022 द्वारा उक्त ग्राम हेतु संचालित योजना को दिनांक 19.01.2021 को उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तांतरित किया जाना बताया है। जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्रांक 986 दिनांक 27.04.2022 द्वारा बताया गया कि उक्त ग्राम हेतु योजना जल निगम, भीमताल को आवंटित है। दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति गठित कर सुनिश्चित किया जाए कि उक्त पेयजल लाईन किस विभाग से सम्बन्धित है तथा सम्बन्धित विभाग तत्काल समस्या का निराकरण करे। तद्क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1690–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 द्वारा उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। दिनॉक 18 अप्रैल, 2023 को प्रकरण के निस्तारण हेतु बैठक सम्पन्न करायी गयी। बैठक में स्पष्ट हुआ कि ग्राम हरिपुर जमनसिंह पेयजल योजना वर्ष 2021 में पेयजल निगम द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान हल्द्वानी को हस्तानान्तरित कर दिया गया है तथा अधि0अभि0 जल संस्थान हल्द्वानी को पेयजल आपूर्ति सूनिश्चित करने हेतु कहा गया। कार्यालय पत्रांक 42–सी दिनॉक 19 अप्रैल, 2023 तथा पत्रांक 97 दिनॉक 02 मई, 2023 द्वारा पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के अद्यतन प्रगति से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किये गये। अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान हल्द्वानी कृपया अध्यावधिक प्रगति से अवगत करायें।	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, हल्द्वानी।
5	➢ (1) लीसा इकाइयों पर लीसा स्टाम्प ड्यूटी 12.5 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत किया जाए ताकि लीसा इकाईयो को प्रोत्साहित किया जा सके।	उक्त प्रकरणों पर विगत बैठकों में दिये गये निर्देशो के क्रम में महोदय के माध्यम से सचिव, वित्त विभाग को संदर्भित प्रकरण पर पत्रांक 838–39/जि.उ.नि./2022 दिनॉक 17–08–2022 तथा सचिव, वन विभाग, वन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को संदर्भित प्रकरण पर पत्रांक 840–41/जि.उ.मि./2022 दिनॉक 17–08–2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशो के क्रम में सचिव वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को पत्रांक 1678–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 के माध्यम से अनुस्मारक पत्र प्रेषित	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल

	➢ (2) लीसे की नीलामी पूर्व की भांति हल्द्वानी से कराये जाने तथा लीसा इकाईयो का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संचालन हेतु पूर्व की भांति प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग से कराये जाने विषयक।	किया गया। कार्यालय पत्रांक 87 दिनॉक 01 मई, 2023 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, महोदय से शासनादेश के सम्बन्ध में अद्यतन कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया। प्रभागीय वनाधिकारी महोदय कृपया अद्यतन प्रगति से अवगत करायें। 2– मैसर्स डालाकोटी पेन्ट एण्ड केमिकल द्वारा नैनीताल नारायण नगर में होने वाली लीसे की नीलामी पूर्व की भांति हल्द्वानी में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। हिमालयन चैम्बर द्वारा लीसा इकाईयों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संचालन हेतु पूर्व की भांति प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग से कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त दोनो प्रकरणों के क्रम में दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सचिव वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से पत्र संख्या 1679–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 प्रेषित कराया गया।	
6	➢ हर्ष पैकेजिंग कोटाबाग एवं कोटाबाग मे स्थित अन्य इकाईयों में विद्युत की अनियमतता विगत 01 वर्ष से बनी हुयी है, जिस कारण से उद्योग बंद होने के कगार पर है।	दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्या के निवारण हेतु विद्युत सप्लाई के रोस्टिंग का समय निर्धारित करने एवं वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युत लाईनों के समीप आ रहे वृक्षों के पातन की कार्यवाही करने तथा नयागांव क्षेत्र में 33 के.वी. उपसंस्थान हेतु सरकारी भूमि चिन्हित किये जाने के लिए उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1677–सी दिनॉक 08 फरवरी, 2023 द्वारा समिति का गठन कर लिया गया है तथा अधि0अभि0, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर के पत्रांक 1786 दिनॉक 03 मई, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि आकस्मिक रोस्ट्रिंग एवं ब्रेकडाउन को छोडकर शटडाउन को समय निर्धारित कर दिया गया है। विद्युत लाईनों के समीप आ रहे वृक्षों की टहनियों की लौपिक–चौपिंग करा दी गयी है एवं झुलते तारो के बीच में 42 नग पोल स्थापित किये जा चुके है जिससे ब्रेकडाउन में कमी आयी है। कोटाबाग क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों हेतु औद्योगिक फीडर बनाने हेतु आद्योगिक पोषक सर्वे के उपरान्त प्राकलन रू0 497.00 लाख प्रेषित किया जा रहा है तथा 33 के0वी0 के नये उपसंस्थान निर्माण हेतु गठित समिति द्वारा साईट सर्वे कर भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है।	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर
7	➢ मै0 एन.बी. मिनरल कारपोरेशन जो उत्तराखण्ड में मैग्नेसाइट सप्लाई करने वाली माईन है विगत 02 साल से बंद है जिससे इस इकाई से कच्चा माल प्राप्त करने वाले कुमाऊँ रिफैक्ट्रीज एवं मै0 नोवल कास्टेबल भी बंद पडी है।	महोदय बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को समपन्न विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पुनः सचिव (खनन), उत्तराखण्ड शासन देहरादून को अनुस्मार पत्र 1681–सी दिनॉक 15 फरवरी, 2023 को प्रेषित किया गया। उक्त प्रकरण दिनॉक 12 मई, 2023 को आयोजित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र में भी प्रस्तुत किया गया जिसमें चर्चा उपरान्त अवगत कराया गया कि प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में गतिमान है एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय से आदेश पारित होने के उपरान्त आदेशों के अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी
8	➢ सोप स्टोन के भण्डारण विषयक बिन्दु।	दिनॉक 02 फरवरी, 2023 को सम्पन्न जिला उद्योग मित्र की बैठक में हिमालयन चैम्बर के पदाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील हल्द्वानी व तहसील लालकुआँ के अन्तर्गत 30 इकाईयों के आवेदन पत्र राजस्व विभाग स्तर पर लम्बित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय	उपनिदेशक खनन/अपर जिलाधिकारी (वि/रा).

		द्वारा यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर लम्बित आवेदनों पर अनुज्ञाए जारी करवाने हेतु निर्देशित किया। कार्यालय पत्रांक 18 दिनॉक 11 अप्रै ल, 2023 द्वारा उक्त 30 इकाईयों की अनुज्ञा की अद्यतन स्थिति हेतु अपर जिलाधिकारी/उप निदेशक खनन को पत्र प्रेषित किया गया। कृपया अद्यतन प्रगति से अवगत करायें।	नैनीताल।
9	➢ राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक का संचालन हल्द्वानी में कराये जाने विषयक।	हिमालयन चैम्बर द्वारा उद्योगों की समस्याओं के निस्तारण हेतु राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन जनपद स्तर पर स्थान हल्द्वानी में किये जाने सम्बन्धी बिन्दु पर विगत बैठक दिनॉक 02 फरवरी, 2023 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेशक उद्योग को पत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में निदेशक उद्योग महोदय को पत्र संख्या 1677–सी दिनॉक 15 फरवरी, 2023 प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र का आयोजन मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जनपद ऊधमसिंहनगर में दिनॉक 12 मई, 2023 को आयोजित की जा चूकी है।	महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी

नये बिन्दु :-

1	➢ मैसर्स तेजल ग्रुप एण्ड इण्डस्ट्रीज, कठघरिया हल्द्वानी के पत्र दिनॉक 18 अप्रैल, 2023 द्वारा ऋण पर ओटीएस सम्बन्धित प्रत्यावेदन की वस्तुस्थिति को उद्योग मित्र में रखे जाने सम्बन्धित प्रकरण।	क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, हल्द्वानी

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपादान स्वीकृती हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण :

महोदया को सादर अवगत कराना है कि विभागीय योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 यथा संशोधित–2020 में निर्धारित प्राविधानानुसार 140 इकाईयो, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 12 इकाईयों तथा विशेष एकीकृत प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित–2011 के अन्तर्गत जनपद में 72 इकाईयो को शासनादेश में निर्धारित विभिन्न उपादान सहायताओं यथा विशेष राज्य पूंजी उपादान, विद्युत उपादान सहायता, ब्याज उपादान सहायता, परिवहन उपादान सहायता, राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के माध्यम से प्रदान की गयी है।

उक्त क्रम में विभाग को प्राप्त निम्न इकाईयों के ब्याज उपादान, विद्युत उपादान, परिवहन उपादान सहायता, पूंजी निवेश उपादान सहायता के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ संस्तुति हेतु प्रस्तुत है।

क्र.सं.	योजना का नाम	इकाईयों की संख्या	उपादान हेतु धनराशि
1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2015 ब्याज उपादान	38	56,20,853.00
2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2015 विद्युत उपादान	45	1,61,12,231.00
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2015 परिवहन उपादान	41	2,03,72,276.00
4	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति –2015 पूंजी निवेश उपादान	01	9,34,258.00
5	विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित–2011 ब्याज उपादान	02	4,16,506.00
6	विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित–2011 विद्युत उपादान	02	8,76,650.00
7	विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित–2011 परिवहन उपादान	05	25,00,000.00
8	महिला उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन सहायता ब्याज उपादान	01	1,17,468.00

उक्तानुसार जिला उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति द्वारा इकाईयों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उपादान धनराशि की स्वीकृति पत्रावली जिला प्राधिकृत समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

अन्य बिन्दु–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।